यू॰पी॰ बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/111/2017 **दिनांक :** 08.12.2017

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

ग्रेच्युटी एक्ट में संशोधन की यूएफबीयू की माँग

उपरोक्त विषय में हम एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय के परिपत्र पत्र संख्या 28/49/2017/49 दिनांक 08.12.17 का अनूदित सार आप सभी की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

ग्रेच्युटी एक्ट में संशोधन के लिए यूएफबीयू की माँग

हम यहाँ वित्त मंत्री तथा श्रम मंत्री को यूएफबीयू द्वारा लिखे गए पत्र का प्रलेख प्रस्तुत कर रहे हैं जो अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी की सीमा रू0 20 लाख तक बढ़ाने तथा संशोधित करने की आवश्यकता पर तथा इसकी स्वीकृति के लिए संसद के आगामी सत्र में विधेयक प्रस्तुत करने के लिए है।

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री

वित्त मंत्री तथा श्रम मंत्री को यूएफबीयू के पत्र का प्रलेख

''आपको ज्ञात ही है कि बैंक यूनियनों की ओर से हम बैंक कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए ग्रेच्युटी एक्ट के तहत देय ग्रेच्युटी की मात्रा पर अधिकतम सीमा में वृद्धि की माँग कर रहे हैं।

जब से सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए 1.1.2016 से रू0 20 लाख तक सीमा बढ़ाई गई थी, एक न्यायोचित आकांक्षा तथा अपेक्षा है कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए भी सीमा बढ़ाई जानी चाहिए।

हम जानते हैं कि अधिनियम में संशोधन को मंत्रिमण्डल ने भी मंजूरी दे दी है। चूंकि संसद का शीतकालीन सत्र जल्द ही शुरू होगा, हम ग्रेच्युटी की सीमा रू0 20 लाख तक बढ़ाने के लिए संसद के आगामी सत्र में विधेयक प्रस्तुत करने के लिए आपके आभारी रहेंगे जो 1.1.2016 से प्रभावी होगा जिससे कि इसे तद्नुसार संसद द्वारा मंजूरी दी जा सके।

हम इस संबंध में उचित कार्यवाही करने के लिए आपके विशेष ध्यान की मांग करते हैं।